स्पीड पोस्ट से

श्रीमती ज़ोया हाडके, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार एवं प्रथम अपील प्राधिकारी (नोटरी) के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग
कमरा सं. 422, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

अपील सं0 14/जेएस एंड एलए (जेडएच/ एनसी/2014

के मामले में:
मु0 यूनुस,
ए.डी.एम. सिटी कोर्ट के सामने,
कलैक्ट्रेट, आगरा — अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (एन)
विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 — प्रत्यर्थी

उपस्थिति

अपीलार्थी के लिए: — **प्रत्यर्थी के लिए** :

मु0 यूनुस.................. स्वयं — श्रीमती पूनम सूरी, केंदीय लोक सूचना अधिकारी

<u>आदेश</u>

<u>11.12.2014</u>

प्रस्तुत अपील दिनांक 15.11.2014 की है, जो दिनांक 17.11.2014 को प्राप्त हुई है और सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन अपीलार्थी के दिनांक 02/04.10.2014 के आवेदन पत्र से उत्पन्न हुई है, जिसमें उसने नोटरी की नियुक्ति हेतु दिए गए अपने आवेदन-पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना मांगी थी :-

1. उक्त आवेदन आपके कार्यालय में किस दिन प्राप्त हुआ तथा किस अधिकारी के समक्ष प्रथम बार कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया । अधिकारी के नाम व पदनाम सहित की गयी टिप्पणी की प्रमाणित छायाप्रति के साथ जानकारी उपलब्ध करायें ।
2. उक्त आवेदन पत्र की दैनिक प्रगति से अवगत करायें। आवेदन पत्र किस-किस अधिकारी के पास किस तिथि को भेजा गया और उनके द्वारा किस तिथि को उस पत्र पर कार्यवाही की गयी । पूरा प्रमाणित विवरण मय टिप्पणियों की प्रमाणित छायाप्रति के प्रदान करें ।
3. आवेदन पर कोई आपत्ति होने अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदक को निराकरण के लिए कब सूचित किया गया । कोई आपत्ति न होने तथा समस्त दृष्टियों से पूर्ण होने पर आवेदन किस स्तर पर कार्यवाही हेतु लंबित है । प्रमाणित जानकारी प्रदान करें ।
4. इस प्रकार के आवेदनों के निस्तारण के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित है । शासनादेश की प्रमाणित प्रति सहित बतायें ।

2. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अपने दिनांक 07.11.2014 के पत्र के द्वारा निम्नलिखित उत्तर दिया था :-

1. इस विभाग के नोटरी अनुभाग में रखे गए दस्तावेजों के अनुसार, श्री मोहम्मद यूनुस का आवेदन पत्र इस विभाग में 21.09.2011 को

प्राप्त हुआ था तथा अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रथम बार कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हुआ था ।

2 व 3. इस विभाग के नोटरी अनुभाग में रखे गये दस्तावेजों के अनुसार, श्री मोहम्मद यूनुस का आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2012 को इस विभाग के पत्र संख्या 5(33)/2012-एन.सी. (यू.पी.) द्वारा निरस्त किया गया था, जिसकी एक प्रति अनुलग्नित है ।

4. नोटरी अधिनियम, 1952 तथा नोटरी नियम, 1956 के अंतर्गत आवेदनों के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ।

3. आवेदक/अपीलार्थी ने अपनी अपील में कहा है कि:-

1. बिन्दु सं0 1 में अधिकारी द्वारा की गयी टिप्पणी की प्रमाणित छायाप्रति मांगी गयी थी जो नहीं प्रदान की गयी है ।

2. बिन्दु सं0 2 व 3 में वांछित सूचना नहीं दी गयी है । न तो दैनिक प्रगति के पूरे विवरण से अवगत कराया गया है और ना ही निरस्तीकरण की प्रतिलिपि संलग्न की गयी है, जैसा कि सूचित किया गया है । आपत्ति संबंधी कोई जानकारी भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

3. बिन्दु सं0 4 पर नियमानुसार कोई आपत्ति नहीं है ।

4. आवेदक/ अपीलार्थी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उपस्थित होने पर दिनांक 08.12.2014 को मामले की सुनवाई की गई । केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने वह फाइल दिखाई, जिसमें नोटरी की नियुक्ति हेतु अपीलार्थी का दिनांक 06.08.2011 का आवेदन-पत्र लगा हुआ था और उन्होंने आवेदन-पत्र में पाई गई कमियां भी बताईं । अपीलार्थी को विभाग के दिनांक 03.08.2012 के उस पत्र की प्रतिलिपि भी दी गई, जिसके तहत उन्हें उनके नोटरी आवेदन-पत्र में पाई गई कमियों के बारे में सूचित किया गया था । आवेदक/ अपीलार्थी अपने नोटरी आवेदन-पत्र को देखने के बाद संतुष्ट हो

गए । अत: इस मामले में अब कुछ शेष नहीं है और तदनुसार अपील का निपटान किया जाता है ।

5. यदि अपीलार्थी इस आदेश से असंतुष्ट है, तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन यथानिर्धारित समयावधि के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली- 110066 के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है ।

पक्षकारों को तदनुसार सूचित कर दिया जाए ।

ज़ोया हाडके

(ज़ोया हाडके)
संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार एवं
प्रथम अपील प्राधिकारी
दिनांक 11.12.2014

1. मु0 यूनुस, ए.डी.एम. सिटी कोर्ट के सामने, कलेक्ट्रेट, आगरा (उ0प्र0)
2. उप विधि सलाहकार एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (नोटरी), विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
3. आर.टी.आई. सेल, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

Mohd. Yunus
Advocate

Chamber :
OPP. A.D.M.City Court,
Collectrate, Agra.
Mob. 9457403108

(1)

Ref : Ist./Notary-3094/11/2014

Date : 15-11-2014

पंजीकृत

RTI MATTER/TIME BOUND

सेवा में,

श्रीमती जोया हड़के, अतिरिक्त विधि सलाहकार एवं प्रथम याचिका अधिकारी,
विधि कार्य विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय,
कमरा संख्या 422 ए, चौथा तल,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

RTI

विषय : **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपील।**

महोदय,

निवेदन है कि सूचना आवेदक ने जनसूचना अधिकारी द्वारा सचिव महोदय, कानून मंत्रालय, भारत सरकार, विधि मामले का विभाग (नोटरी सैल) शास्त्री भवन, नई दिल्ली से दिनांक 09.10.2014 को **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना हेतु आवेदन दिनांकित 04.10..2014 प्रेषित किया था। उक्त जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को उपलब्ध करायी गयी सूचना दिनांकित 07.11.2014 से सूचना आवेदक सन्तुष्ट नहीं है। अतः नियमानुसार श्रीमान् जी के समक्ष प्रथम अपील सुनवाई के लिए निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

1. बिन्दु सं0 1 में अधिकारी द्वारा की गयी टिप्पणी की प्रमाणित छायाप्रति मांगी गयी थी जो नहीं प्रदान की गयी है।

2. बिन्दु सं0 2 व 3 में वांछित सूचना नहीं दी गयी है। न तो दैनिक प्रगति के पूरे विवरण से अवगत कराया गया है और ना ही निरस्तीकरण की प्रतिलिपि संलग्न की गयी है जैसा कि सूचित किया गया है। आपत्ति सम्बन्धी कोई जानकारी भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

'C'

3. बिन्दु सं0 4 पर नियमानुसार कोई आपत्ति नहीं है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत इस प्रथम अपील की सुनवाई करें तथा सूचना आवेदक को तत्काल पूरी वांछित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश देने की कृपा करें।

अपीलकर्ता / सूचना आवेदक

संलग्नक – 1. सूचना आवेदन की छायाप्रति।
2. प्राप्त सूचना की छायाप्रति।

(मु0 यूनुस)
एडवोकेट

14/JSdLA(ZH)/NC/2014
17/11/2014

Mohd. Yunus
Advocate

Chamber :
OPP. A.D.M.City Court,
Collectrate, Agra.
Mob. 9457403108

(2)

Ref : RTI/Notary-3094/11/2014

Date : 02-10-2014
4-10-2014

पंजीकृत

RTI MATTER/TIME BOUND

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी द्वारा सचिव महोदय,
कानून मंत्रालय, भारत सरकार, विधि मामले का विभाग (नोटरी सैल)
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

विषय : **आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

महोदय,

निवेदन है कि सूचना आवेदक ने नोटरी पब्लिक (भारत सरकार) हेतु अपना आवेदन पत्र दिनांकित 06.08.2011 श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय, आगरा के माध्यम प्रेषित किया था जो दिनांक 08.08.2011 को पत्रांक 3094/11 द्वारा अग्रसारित किया गया था।

उक्त आवेदन से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी सूचना आवेदक को **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6** के अन्तर्गत उपलब्ध कराने की कृपा करें :–

1. उक्त आवेदन आपके कार्यालय में किस दिन प्राप्त हुआ तथा किस अधिकारी के समक्ष प्रथम बार कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। अधिकारी के नाम व पदनाम सहित की गयी टिप्पणी की प्रमाणित छायाप्रति के साथ जानकारी उपलब्ध करायें।

2. उक्त आवेदन पत्र की दैनिक प्रगति से अवगत कराये। आवेदन पत्र किस किस अधिकारी के पास किस तिथि को भेजा गया और उनके द्वारा किस तिथि को उस पत्र पर कार्यवाही की गयी। पूरा प्रमाणित विवरण मय टिप्पणियों की प्रमाणित छायाप्रति के प्रदान करें।

3. आवेदन पर कोई आपत्ति होने अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदक को निराकरण के लिए कब सूचित किया गया। कोई आपत्ति न होने तथा समस्त दृष्टियों से पूर्ण होने पर आवेदन किस स्तर पर कार्यवाही हेतु लम्बित है। प्रमाणित जानकारी प्रदान करें।

4. इस प्रकार के आवेदनों के निस्तारण के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित है। शासनादेश की प्रमाणित प्रति सहित बतायें।

प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम व पते से अवगत कराते हुए उपरोक्त समस्त जानकारी **बिन्दुवार** विवरण सहित उपलब्ध करायें। सूचना हेतु निर्धारित शुल्क रु0 दस का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या **23 एफ 825861** संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार शुल्क।

सूचना आवेदक

(मु0 यूनुस)
एडवोकेट

प्रतिपर्णी COUNTERFOIL
इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.
पोस्टल आर्डर
रुपए 10.00 Rs.
POSTAL ORDER
किसे अदा करना
To whom payable
At what Office
क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed
भेजने की तारीख
Date sent
23F 825861

भारतीय डाक
India Post

RL CIVIL COURT <282002>
A RU785470721IN
Counter No:1,OP-Code:JAIPA
To:PIO SEC KANOON MINI,
New Delhi G.P.O., PIN:110001
From:MD ISMAIL , AGRA
Wt:20grams,

संख्या. 5A(310)/2014-NC

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नोटरी सेल

*****

४३९, शास्त्री भव

नयी दिल्ली-११००

दिनांक : नवम्बर 7, 20

सेवा में,

श्री मोहम्मद यूनूस, अधिवक्ता,
ए.डी.एम. सिटी कोर्ट के सामने,
कलैक्ट्रट, आगरा.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम पत्र दिनांक 02.10.2014 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध मे.

आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पत्र दिनांक 02.10.2014 जो कि नोटरी अनुभाग मे 24.10.2014 प्राप्त हुआ, के अंतर्गत मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में निम्न सूचना प्रदान की जा रही है:

क्रम सं.	प्रश्न का उत्तर
1.	इस विभाग के नोटरी अनुभाग मे रखे गये दस्तावेजो के अनुसार, श्री मोहम्मद यूनूस का आवेदन पत्र इ विभाग मे 21.09.2011 को प्राप्त हुआ था तथा अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रथम बार कार्यवाही हेतु प्रस्तु हुआ था.
2 व 3.	इस विभाग के नोटरी अनुभाग मे रखे गये दस्तावेजो के अनुसार, श्री मोहम्मद यूनूस का आवेदन पत्र दिनां 03.08.2012 को इस विभाग के पत्र संख्या 5(33)/2012-एन.सी. (यू.पी.) द्वारा निरस्त किया गया थ जिसकी एक प्रति अनुलग्नित है.
4.	नोटरी अधिनियम, 1952 तथा नोटरी नियम, 1956 के अंतर्गत आवेदनो के निस्तारण के लिए कोई सम सीमा निर्धारित नही है

2. यदि आप यहाँ प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो आप इस पत्र की प्राप्ति के ३० दिन के अंदर प्रथम अपी प्रथम याचिका अधिकारी को निम्न नाम एवं पते पर कर सकते है.

श्रीमती ज़ोया हड़के, अतिरिक्त विधि सलाहकार एवं प्रथम याचिका अधिकारी,
विधि कार्य विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय,
कमरा संख्या 422 ए., चौथा तल,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -११०००१

(पूनम सू
उप विधि सलाहकार
केंद्रीय लोक सूचना अधिक
नोटरी स